

कार्यालय कलेक्टर जिला बैतूल, एवं समुचित सरकार,

मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग

क्रमांक 31अ-82/2017-18 मौजा घाटपिपरिया 4038 बैतूल दिनांक 28 - 03-2018

प्रारंभिक अधिसूचना

चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल(हे०में)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (म०प्र०)	मुलताई	घाटपिपरिया	18.560	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग मुलताई	घाटपिपरिया लघु जलाशय

अनुसूची - 2

(प्रभावित धारको की सूची)

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा हे.
1	2	3	4	5
1	महादेव, शिवशंकर, बबलू वल्द फगना बसोड़ सा. मोरखा	1026/2	0.615	0.615
2	रामचरण रघुनाथ वल्द धना सा. देह भूमिस्वामी	1023/2	0.569	0.569
3	देवली बेवा खुसरू, प्रकाश, सहदेव वल्द खुसरू, सरोज, सरला पिता खुसरू, रुखमनी, गोड़न पिता दुकारी, गोलन, दलपत, गनपती, उर्फ गनपत वल्द भिक्कू गिरजा पिता भिक्कू महेरा सा. देह.	1022	1.109	1.109
4	देवराव, भोजराव वल्द सुन्दरलाल, सोनू विककी वल्द कुवरलाल, मिनाक्षी, निजू पिता कुंवरलाल, नान्ती पिता सुंदरलाल, मोहन, रामदयाल, सुशील वल्द शंकर, अनिता पिता शंकर, तिरथ, वल्द गुलाब, कल्लू, फुल्लू वल्द मन्तू, कला, प्रमिला, उर्मिला, पिता मन्तू, गनेशी, बेवा मन्तू, सुगन्ती पिता शंकरलाल, सुमित वल्द महेश, अमित, शुभमू, ना.बा.वल्द महेश वली भाई सुमित व. महेश महेरा सा. देह	1018	4.452	4.452
		987	7.576	0.506

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा हे.
1	2	3	4	5
5	चैनू मेनू वल्द भदलू छितरी पिता भदलू महेरा सा. देह भूमिस्वामी	1023/1	1.705	0.343
		1024	0.713	0.041
6	झिगरू बाबूलाल साहेब भैयालाल वल्द अमरू उर्फ दामू समाती उर्फ समोली, तल्ला उर्फ तबला, इनको उर्फ झमोली पिता अमरू उर्फ दामू गोंड सा देह भूमिस्वामी	1019	1.817	1.700
7	रंगसू हिनसू बस्तीराम सनोरा पिता बस्तीराम रन्दा बेवा बस्तीराम सा. देह भूमिस्वामी	1020	0.571	0.571
8	हिरू पंजाब रामसिंह वल्द हिरदेराम देवली बेवा हिरदेराम, महेरा सा. देह	991	1.501	1.501
		992	0.405	0.405
9	लखमू दखन, चैत्या वल्द नंदन महेरा सा. देह	993/2	0.283	0.283
		998	0.214	0.214
		1016	1.024	0.619
10	लखमू दखन, चैत्या वल्द नंदन, लखनिया, कंभी उर्फ मुन्नी पिता नंदन, नवल, भोलू दशरथ वल्द कैलाश, जमना पिता कैलाश महेरा सा. देह	1014	1.121	0.446
		1015	0.761	0.761
11	भीम वल्द किशोरी, लीला पिता किशोरी, पिरमली बेवा जगत, बिटटू वल्द नत्थू, मिना बेवा नत्थू, सुदामा, शिवनाथ, रूपसिंग वल्द सुन्दर, प्रेमवती पिता सुन्दर, रामू वल्द किसन, तिरतिया पिता किसन, रामवती पिता घुड़न, मंशाराम, आत्माराम, गंगाराम वल्द श्यामु, सुवा पिता श्यामु, तुलसी बेवा श्यामु टेकचंद वल्द प्रभु, रूपवती बेवा प्रभु, मेहरा सा. देह	993/1	0.141	0.141
12	सुखचैन, शिवराम, दिनकर वल्द रामु, भागवंती, सुखबती, शिवबती, शांती पिता रामु महेरा सा. देह	1001/3	0.930	0.081
13	लक्ष्मी, विरबती, कमला, दुलारी पिता सुमरलाल, मनोज वल्द मंगल, मोनिका पिता मंगल महेरा सा. देह	999	2.625	0.607
14	रूसीलाल वल्द जैपाल, जमूना, गंगा पिता जैपाल, जगतिया बेवा जैपाल, प्रकाश, नामदेव, सुखदेव वल्द मनेष शिल्पा, शिला पिता मनेष रूपा बेवा मनेष महेरा सा. देह	973	2.209	1.209

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा हे.
1	2	3	4	5
15	संतोष सतिष वल्द सुखलाल प्रेमवती मीरा पिता सुखलाल सुरेश मनोज वल्द नत्थू लता बेवा नत्थू मेहरा सा. देह	954	2.529	0.607
16	मेघनन्द वल्द तुलसीराम मेहरा सा. देह	996	-1.756	0.971
17	गोलन दलपत गनपत वल्द भिव्कू गिरजा पिता भिव्कू मेहरा सा. देह	1021	0.364	0.364
18	बटनी जौजे दलपत मेहरा सा. देह	994	1.307	0.445
योग				18.560

1- चूंकि घाटपिपरिया लघु जलाशय हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा 04 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण हेतु पृथक से कार्यवाही प्रचलित है।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार,



(शशांक मिश्र) 2013


कलेक्टर बैतूल एवं समुचित सरकार,
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

ए0क0 31 अ-82/वर्ष 17-18/घाट पिपरिया/4038

बैतूल दिनांक 28-3-2018

प्रतिलिपि:-

- 1- उपनियंत्रक, शासकीय मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री केन्द्रीय मुद्रणालय, म0प्र0 भोपाल की ओर म0प्र0 राजपत्र भाग एक में प्रकाशनार्थ अग्रेषित।
- 2- संचालक, जनसम्पर्क संचालनालय, विज्ञापन शाखा बानगंगा चौराह के पास, भोपाल को सूचनार्थ (पांच प्रतियों में) अग्रेषित। कृपया उक्त अधिसूचना का प्रकाशन दो दैनिक समाचार पत्रों में कर इस कार्यालय को अवगत कराने तथा समाचार पत्रों की प्रतियां भी भेजने का कष्ट करें।
- 3- कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मुलताई को सूचनार्थ अग्रेषित। अधिसूचना का प्रकाशन कार्यालयीन सूचना पटल पर करवाया जाकर पालन प्रतिवेदन तथा प्रकाशन के पेपर प्रतियां एक माह के भीतर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
- 4- प्रभारी एन आई सी सेन्टर बैतूल की ओर समूचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर अपलोड किए जाने हेतु अग्रेषित।
- 5- प्रभारी अधिकारी (नजारत शाखा) कलेक्टर कार्यालय बैतूल की ओर (दो प्रतियों में) अग्रेषित। एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाएं तथा एक प्रति में पालन प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
- 6- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुलताई की ओर (दो प्रतियों में) अग्रेषित। एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाएं तथा एक प्रति में पालन प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
- 7- तहसीलदार मुलताई की ओर (तीन प्रतियों में) में अग्रेषित। एक प्रति तहसील कार्यालय में तथा एक प्रति अर्जन हेतु प्रस्तावित स्थल पर चस्पा करावे एवं एक प्रति में पालन प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
- 8- जिला जनसम्पर्क अधिकारी, बैतूल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित। प्रकाशित विज्ञापन की प्रति कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) बैतूल को उपलब्ध करावें।
- 9- सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत घाटपिपरिया तहसील मुलताई जिला बैतूल (म0प्र0) की ओर उक्त प्रकाशन ग्राम पंचायत के सूचना पटल पर करवाने हेतु अग्रेषित।


कलेक्टर बैतूल एवं समुचित सरकार
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग